<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10/05/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप** के मामले में नवी मुंबई में स्थित रुपये 52.73 करोड़ की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप, गोपाल अमरलाल ठाकुर, हसमुख अमरलाल ठाकुर और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वास्तविक फ्लैट खरीदारों को फ्लैट बेचने और उसका उनके नाम पर पंजीकरण ना करके उनसे धोखाधड़ी कर पैसे इकट्ठा करके उनको धोखा देने के लिए दर्ज कई प्राथमीकियों (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि गोपाल अमरलाल ठाकुर ने बड़ी मात्रा में निवेशकों के पैसे को अपनी विभिन्न सहयोगी संस्थाओं में भेज दिया और पैसे को एक जटिल मनी ट्रेल के माध्यम से, नवी मुंबई के विभिन्न बिल्डरों नामतः मेसर्स बाबा होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स लखानी बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, मेसर्स मोनार्क सॉलिटेयर एलएलपी और अन्य के पास अपराध की बड़ी आय (पीओसी) जमा कर दी।

ईडी की जाँच में पता चला कि मोनार्क ग्रुप और उसके निदेशकों ने एक ही फ्लैट कई फ्लैट खरीदारों को बेच दिया। उन्होंने ग्राहकों की जानकारी के बिना पहले से बेचे गए फ्लैटों को गिरवी रखकर एनबीएफसी से ऋण लिया। इसके परिणाम स्परूप दिनांकः 01.07.2021 को गोपाल अमरलाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अभियोजन शिकायत दिनांकः 26.08.2021 को दायर की गई थी। इसका संज्ञान माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। इन बिल्डरों के पास गई 52.73 करोड़ रुपये मूल्य की पीओसी दिनांक 10.05.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क कर ली गई है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****